

राजस्थान सरकार सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग

क्रमांक :-एफ2(1418)/DOIT/ESTT/13/ML-4761/2024

जयपुर, दिनांक 04/07/2024

अनापत्ति प्रमाण पत्र

श्री महेश चन्द बैरवा, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, कार्यालय, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, मुख्यालय जयपुर द्वारा BAJRANG COMPUTER INSTITUTE, BASWA, DAUSA, CENTER CODE 51290219 से RSCIT (सत्र 2024) पाठ्यक्रम में अध्ययन हेतु पत्राचार माध्यम से प्रवेश लेने की अनुमति चाही गई है। उक्त हेतु श्री महेश चन्द बैरवा, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, को अनापत्ति प्रमाण पत्र राजस्थान सिविल सेवाएँ (आचरण) नियम, 1971 के नियम-17 की निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है :-

1. शिक्षण संस्थान में अध्ययन का समय यदि कार्यालय समय के समान ही हो तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त मानी जाएगी।
2. राजसेवक का पदस्थापन अध्ययन स्वीकृति संस्थान के मुख्यालय से परिवर्तन/स्थानान्तरित हो जाता है तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त हो जायेगी।
3. प्रत्येक वर्ष के लिए अनुमति लेना आवश्यक है।
4. विभाग की पूर्वानुमति प्राप्त किये बगैर अध्ययन चालू रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
5. जिन कर्मचारियों को इस वर्ष उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु अथवा अध्ययन जारी रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जायेगी उन्हें परीक्षा दिवसों के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
6. अध्ययन स्वीकृति दिये जाने से अधिकारी/कर्मचारी को किसी स्थान विशेष पर पदस्थापन निरन्तर रखने का अधिकारी नहीं मिल पायेगा और उसका स्थानान्तरण किया जा सकता है।
7. अध्ययन से राजसेवक दैनिक राजकीय कार्य सम्पादन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करेगा, अन्यथा स्वीकृति समाप्त कर दी जाएगी।
8. अध्ययन वर्ष में अधिकारी/कर्मचारी की उपस्थिति का प्रतिशत कम होने के लिये सरकार/विभाग किसी प्रकार से जिम्मेदार नहीं होगा।
9. परीक्षा की तैयारी हेतु किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
10. प्रशासनिक कारणोंवश अध्ययन स्वीकृति बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।
11. इस अनापत्ति प्रमाण पत्र से अभ्यर्थी द्वारा किए जा रहे अध्ययन के पाठ्यक्रम या विश्वविद्यालय की मान्यता या गैर-मान्यता के संबंध में इस विभाग की स्वीकृति नहीं मानी जायेगी।
12. उक्त शर्तों की अवहेलना करने या पाई जाने पर कार्मिक/कार्मिका के विरुद्ध कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक प.9(5)(9)/कार्मिक/क-3/2001 दिनांक 16 मई 2002 के अनुसार वृहत शास्ति हेतु अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

(संजय जगदीश कर्णिक)
संयुक्त सचिव एवं कार्यालयाध्यक्ष

प्रतिलिपि: सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रभारी अधिकारी, वेबसाइट, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, मुख्यालय जयपुर को अपलोड करने हेतु।
2. श्री महेश चन्द बैरवा, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग मुख्यालय, जयपुर।
3. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।

संस्थापन अधिकारी